सूचना का अधिकार अधिनियम,2005

संख्या-18/सू0अ0-01/84-डे0ई0-14-नि0-41/2009

प्रेषक,

धर्मचन्द्र पाण्डेय,
अनु सचिव/जनसूचना अधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप डे0ई0 लखनऊ :: दिनांक 09 जनवरी, 2014

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदक को सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय, लोक शिकायत अनुभाग-4 के पत्र संख्या-1308सू0अ0/लो0शि0-4/2013 दिनांक 09 दिसम्बर, 2013 व इससे संलग्न आवेदक श्री छत्रपति सिंह नेगी, हल्द्वानी, जिला नैनीताल के पत्र दिनांक 14-10-2013 की छायाप्रति शासन के पत्र संख्या-35/सू0अ0-04/84-डे0ई0-2013-नि0-41/2009, दिनांक 22-10-2013 के संदर्भ में संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पूर्व पत्र दिनांक 22-10-2013 में आपसे की गयी अपेक्षानुसार आवेदक को वांछित सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है। अत: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-6(3) के अन्तर्गत आवेदक श्री छत्रपति सिंह नेगी का पत्र दिनांक 14-10-2013 जो मा0 मुख्यमंत्री को पृष्ठांकित है, को इस आशय के साथ अन्तरित किया जा रहा है कि आवेदक को सूचना का अधिकार अधिनियम,05 के अन्तर्गत निर्धारित समय के अन्दर वांछित सूचनायें सीधे उपलब्ध कराकर उसकी प्रति शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें, अन्यथा अधिनियम की धारा-5(5) के अन्तर्गत जनसूचना अधिकारी के रूप में आप उत्तरदायी होगें।

संलग्नक :: यथोक्त।

भवदीय,

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव/जनसूचना अधिकारी।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि श्री छत्रपति सिंह नेगी, हल्द्वानी, जिला नैनीताल को उनके पत्र दिनांक 14-10-2013 के संदर्भ में इस आशय से प्रेषित कि अपेक्षित सूचनायें सीधे अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, जवाहर भवन, लखनऊ से प्राप्त करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव/जनसूचना अधिकारी।

http://shasanadesh.up.nic.in/